



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 / 21 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

**CSK HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA, PALAMPUR
GENERAL ADMINISTRATION BRANCH**

NOTIFICATION

Palampur, the 10th September, 2025

No. QSD.2-1/2023-CSKHPKV(GA)Vol.XVII/41042-142.—On the recommendations of Board of Management in its 128th meeting through circulation and in exercise of powers
149—राजपत्र / 2025—13—10—2025 (6507)

vested under sub-section (6) and (7) of Section 54 of the H.P. Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No.4 of 1987), the Chancellor of CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur has been pleased to make the following amendment in the CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988:

**66th AMENDMENT IN THE STATUTES OF CHAUDHARY SARWAN KUMAR
HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA STATUTES, 1988**

{As assented to by the Chancellor (HE Governor, H.P.)
vide letter No. 42-22/79-GS dated 22-08-2025}

Short Title : This amendment shall be called CSKHPK, Palampur
Statutes, 1988 (66th Amendment, 2025)

Amendment/addition to Statute 5.6(1) of Chapter V of the CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988.

The following amendment/addition in Statute 5.6(1) of Chapter V of CSK Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Statutes, 1988 shall stand made:—

Statute Section	Existing Provision	Amended Provision
Section 5.6(1) Scale of pay of University employees	The scale of pay of the posts of grade A, B, C and D employees of the University shall be as prevalent at present. Conditions and rules for the release of higher scales of pay, for admissibility of special pay and other allowances to the employees shall be the same as applicable from time to time to the employees holding corresponding posts in the concerned Departments of the Himachal Pradesh Government with which the present scale have been equated. For Example for the ministerial staff including drivers the scale will correspond to the Secretariat staff of the Himachal Pradesh Government, for the scale of posts in the Estate Cell with the Public Works Department and for technical staff with the Department of Agriculture/ Horticulture/ Animal Husbandry/ Fisheries or where the University has evolved its own pay scales, the same will be revised by keeping in view the relative position of the pre-revised scales. For lab stream posts the pay scales will be the same as prevalent in the HP University, Shimla and UHF Solan. The rates of local allowances shall be	The scale of pay of the posts of grade A, B, C and D employees of the University shall be as prevalent at present. Conditions and rules for the release of higher scales of pay, for admissibility of special pay and other allowances to the employees shall be the same as applicable from time to time to the employees holding corresponding posts in the concerned Departments of the Himachal Pradesh Government with which the present scale have been equated. For example for the ministerial staff including drivers the scale will be correspond to Secretariat staff of the Himachal Pradesh Government (except Secretariat Pay not to be allowed for all future appointments from the date of notification of amendments in the Statutes), for the scale of posts in the Estate Cell with the Public Works Department and for technical staff with the Department of Agriculture/ Horticulture/ Animal Husbandry/ Fisheries or where the University has evolved its own pay scales, the same will be revised by keeping in view the relative position of the pre-revised scales. For lab stream posts the pay scales will be the same as prevalent in the HP University, Shimla and UHF Solan. The rates of local allowances shall be as admissible to the Govt. servants at the

	as admissible to the Government servants at the concerned Station of posting. However, the release of a higher scales or allowances will not be automatic consequent upon a revision in the Governments but shall be subject to the approval of the Board of Management.	concerned Station of posting. However, the release of a higher scales or allowances will not be automatic consequent upon a revision in the Governments but shall be subject to the approval of the Board of Management.
--	--	--

Sd/-
(Dr. MADHU CHAUDHARY) IAS,
Registrar,
CSK HPKV, Palampur.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the, 10th October, 2025

No. UD-A (2)-1/2025.—In supersession of this department notification No. UD-A(2)-2/2023, dated 25th July, 2024 and in exercise of the powers conferred under sub-section (4) of Section 13 and Section 23(3) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to prescribe the following rates of Honorarium and allowances to the Presidents/Vice-Presidents and Members of Municipal Councils and Nagar Panchayats in Himachal Pradesh *w.e.f* 1st April, 2025:

Municipal Councils		
Designation	Existing rate of Honorarium per month (in Rupees)	Revised rate of Honorarium per month (in Rupees)
President	10,200	10,800
Vice President	8,400	8,900
Members	4,200	4,500

Nagar Panchayats		
Designation	Existing rate of Honorarium per month (in Rupees)	Revised rate of Honorarium per month (in Rupees)
President	8,400	9,000
Vice-President	6,600	7,000
Members	4,200	4,500

By order,
DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated, the 10th October, 2025

No. SEC(F)1-40/2023-Vol-I-4177.—Whereas the State Election Commission had issued programme for the preparation of electoral rolls *vide* Notification. No. SEC(F)1-40/2023-Vol-I-3834, dated 01st October, 2025. As per programme draft electoral rolls were to be published on 06-10-2025;

And whereas it is noticed that preview copy of the electoral rolls in respect of Gram Panchayats Aura, Bajol and Holi of Development Block Bharmour, District Chamba and Gram Panchayats Jhungi, Behli (Drumat), Boie and Shegal of Development Block Nihri District Mandi were not generated;

And whereas while shifting the stage from working to draft electoral rolls it is observed that the generated draft in respect of abovementioned Gram Panchayats pertains to the year 2022 instead of 2025;

And whereas the matter was considered in the Commission and the Commission is of the considered view that the directions issued by the Commission have not been adhered to in letter and spirit which has resulted into defective generation of draft electoral rolls in respect of abovementioned Gram Panchayats of District Mandi and Chamba;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India, Section 160 of the H.P. Panchayati Raj Act, 1994, read with Rule 12 of the H.P. Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, hereby invalidates the process undertaken for preparation of electoral rolls in respect of the Gram Panchayats mentioned hereinabove and further issues the following schedule for preparation of electoral rolls:—

1.	Generation of preview copy of draft electoral rolls.	13-10-2025
2.	Convening of Special Meeting of Gram Sabha.	15-10-2025
3.	Generation of Draft Electoral Rolls	16-10-2025
4.	Publication of electoral rolls in draft	17-10-2025
5.	Period for lodging claims and objections before the Revising Authority.	18-10-2025 to 27-10-2025
6.	Period for deciding claims and objections by the Revising Authority.	Upto 31-10-25
7.	Period for filing appeals before the Appellate Authority.	Within seven days from the order passed by the Revising Authority <i>i.e.</i> up to 07-11-2025 .
8.	Period for deciding appeals by the Appellate Authority	Upto 11-11-2025
9.	Final publication of Electoral Rolls	On or before 13th November, 2025

Further all the directions issued vide Notification No. SEC(F)1-40/2023-Vol-I- 3834 dated 01st October, 2025 shall be applicable *ipso-facto* to this programme.

Kindly acknowledge receipt and pay personal attention.

By order,
Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI),
State Election Commissioner(H.P.).

पंचायती राज विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-09, दिनांक 10-10-2025

सं०: पीसीएच-एचए (3)4 / 07-45663-45855.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पी0सी0एच0ए0(1)18 / 2008-111-23660-23862, दिनांक 14-08-2025 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम 2025 के नियम 5 में अंकित अंक "88" को अंक "89" पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव जैश्री, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव जैश्री, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी का जन्म दिनांक 28-04-2012 को गांव जैश्री, पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन अज्ञानतावश वे जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 15-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 15-10-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार पुत्र श्री गोगल, निवासी गांव जलोट, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा
(हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री संजय कुमार पुत्र श्री गोगल, निवासी गांव जलोट, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी का जन्म दिनांक 16-05-2019 को गांव जलोट, पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। लेकिन अज्ञानतावश वे जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भड़ेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भड़ेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 15-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 15-10-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री चन्द्र दत्त पुत्र श्री टेक चन्द, निवासी गांव सुरेला, परगना जूँड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री चन्द्र दत्त पुत्र श्री टेक चन्द, निवासी गांव सुरेला, परगना जूँड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों में चन्द्र दत्त दर्ज है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल सुरेला पुखरी की जमाबंदी वर्ष 2020-21 के खाता 56 में उसका नाम चंद दत्त पुत्र टेक चन्द दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 15-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 15-10-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : 31 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील तेलका/2025-719-20

तारीख दायरा : 24-09-2025

जर्म सिंह पुत्र फजला, निवासी गांव पटोतरी, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत बाड़का

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

जर्म सिंह पुत्र फजला, निवासी गांव पटोतरी, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि ग्राम पंचायत बाड़का के परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व पुत्री आकृति कुमारी के शिक्षा प्रमाण-पत्र में जर्म सिंह दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल झौडा, पटवार वृत्त सेरी, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम जरमो दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम जरमो की बजाए जरमो उर्फ जर्म सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सेरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-09-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 16 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील तेलका/2025-721-22

तारीख दायरा : 24-09-2025

रुकसाना बेगम पुत्री अब्दुल्ला, निवासी गांव टिकरी, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता, ग्राम पंचायत सेरी

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

रुकसाना बेगम पुत्री अब्दुल्ला, निवासी गांव टिकरी, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि ग्राम पंचायत सेरी के परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में रुकसाना बेगम दर्ज है जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल छतरेल, पटवार वृत्त सेरी, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम रुकसाना दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम रुकसाना की बजाए रुकसाना उर्फ रुकसाना बेगम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सेरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-09-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 52 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-723-24

दिनांक : 24-09-2025

श्रीमती विद्या देवी पत्नी राज कुमार, निवासी गांव नवेही, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:—HFW-B&D/CMO-CBA/2025-3978 Dated 18-02-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल जिसमें आवेदिका श्रीमती विद्या देवी पत्नी राज कुमार, निवासी गांव नवेही, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका की पुत्री साक्षी देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 18-02-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि साक्षी देवी पुत्री राज कुमार, निवासी गांव नवेही, डाकघर अन्दराल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 25-01-2011 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका की पुत्री साक्षी देवी पुत्री राज कुमार, निवासी गांव नवेही, डाकघर अन्दराल की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 51 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-725-26

दिनांक : 24-09-2025

चम्पो पुत्री गन्धर्व सिंह, गांव कछयुंड, डाकघर द्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत द्रेकड़ी, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2025-16531 Dated 31-07-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदिका चम्पो पुत्री गन्धर्व सिंह, गांव कछयुंड, डाकघर द्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका चम्पो का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 31-07-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि चम्पो पुत्री गन्धर्व सिंह, गांव कछयुंड, डाकघर द्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 11-11-1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका चम्पो पुत्री गन्धर्व सिंह, गांव कछयुंड, डाकघर द्रेकड़ी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव द्रेकड़ी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 53 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-727-28

दिनांक : 24-09-2025

कमलेश कुमार पुत्र सुनितू राम, निवासी गांव व डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः, 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-B&D/CMO-CBA/2025-18418 Dated 27-08-2025, 2. शपथ-पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण-पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदक कमलेश कुमार पुत्र सुनितू राम, निवासी गांव व डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक कमलेश कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 27-08-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कमलेश कुमार पुत्र सुनितू राम, निवासी गांव व डाकघर सालवा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 28-06-1983 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक कमलेश कुमार पुत्र सुनितू राम, निवासी गांव व डाकघर सालवा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सालवा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नम्बर : 58 / 2025

तिथि दर्ज : 21-08-2025

श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री प्रसिंदा, निवासी गांव सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र वराये नाम दुरुस्ती अधीन धारा 37-38 हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम, 1954.

दिनांक 20-08-2025 को प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री प्रसिंदा, निवासी गांव सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने अपनी ओर से एक प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम 1954 की धारा 37-38 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका नाम उसके सभी दस्तावेजों में अनुराधा देवी दर्ज है। जबकि राजस्व विभाग में उसका नाम उर्मिला देवी दर्ज है। जोकि उर्मिला देवी उर्फ अनुराधा देवी राजस्व विभाग में दर्ज/दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र पर कार्रवाई करते हुए आरम्भिक जांच व छानबीन फिल्ड स्टाफ के माध्यम से करवाई गई व स्थानीय टीकादारान के ब्यानात दर्ज करवाये गए जिसमें पाया गया कि प्रार्थिया को सभी लोग उर्मिला देवी उर्फ अनुराधा देवी दोनों नामों से जानते हैं।

इस बारे आम जनता को बजरिया इश्तहार/मुश्री मुनादी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री प्रसिंदा, निवासी गांव सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का नाम उर्मिला देवी उर्फ अनुराधा देवी दर्ज/दुरुस्त किए जाने बारे कोई आपत्ति एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-10-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत मुकाम सुजानपुर में अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। कोई आपत्ति एवं एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री प्रसिंदा, निवासी गांव सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व रिकार्ड के महाल मेहस कवाल में उर्मिला देवी उर्फ अनुराधा देवी दर्ज व तस्दीक कर दिया जावेगा व इसके उपरान्त कोई आपत्ति एवं एतराज मान्य नहीं होगा।

यह इश्तहार/मुश्री मुनादी आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
45/NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	03-10-2025	25-10-2025

सुश्री ध्रुवां देवी पुत्री रिखी, वासी मोहाल चपटेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

वादि्या।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act 1969 सुश्री ध्रुवां देवी पुत्री रिखी, वासी गांव चपटेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

प्रार्थना-पत्र बराये जन्म पंजीकरण सुश्री ध्रुवां देवी पुत्री रिखी, वासी मोहाल चपटेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-07-1954 को ग्राम पंचायत बैरी में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पायी है लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 25-10-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 03-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : चमन लाल

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र श्री प्यार सिंह, वासी गांव पत्थल्यार, डाकघर पत्थल्यार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री प्यार सिंह, वासी गांव पत्थल्यार, डाकघर पत्थल्यार, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के परिवार में दिनांक 02-01-1988 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पत्थल्यार के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थी का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत पत्थल्यार को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्री चमन लाल पुत्र श्री प्यार सिंह के नाम एवं जन्म तिथि 02-01-1988 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 28-10-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 01-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

शीर्षक : उषा रानी

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती उषा रानी पुत्री श्री प्रकाश चन्द, वासी गांव मलेहडा, डाकघर झंझयाणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने नियमानुसार अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दम्पति श्री प्रकाश चन्द, वासी गांव मलेहडा, डाकघर झंझयाणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) के परिवार में दिनांक 10-04-1976 को हुआ है परन्तु उस समय अज्ञानतावश उसके नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत झंझयाणी के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। प्रार्थी का आवेदन है कि सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत झंझयाणी को उसके नाम व जन्म तिथि पंजीकरण बारे आदेश दिए जावें।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी श्रीमती उषा रानी पुत्री श्री प्रकाश चन्द के नाम एवं जन्म तिथि 10-04-1976 पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह अपना उजर अधोहस्ताक्षरी की अदालत/कार्यालय बड़सर में किसी भी कार्य दिवस को असालतन या वकालतन दिनांक 28-10-2025 से पूर्व कर सकता है। उक्त वर्णित दिनांक से उपरांत पेश कोई भी एतराज मान्य न समझा जाएगा व आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

यह नोटिस आज दिनांक 01-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बड़सर,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मु0 नं0 : 075/तह/2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-10-2025

मस्त राम पुत्र स्व0 श्री होशियार सिंह, गांव व डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—मुश्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

मस्त राम पुत्र स्व0 श्री होशियार सिंह, गांव व डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 01-01-1943 को गांव व डाकघर दगोह, ग्राम पंचायत दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत दगोह के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मस्त राम पुत्र स्व0 श्री होशियार सिंह, गांव व डाकघर दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 01-01-1943 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-10-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म

पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव दगोह को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06-09-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विजय शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 11/ना/2025

किस्म मुकदमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-10-2025

जगतम्बो देवी पुत्री स्व0 श्री आत्मा राम, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—मुश्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

जगतम्बो देवी पुत्री स्व0 श्री आत्मा राम, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 12-12-1953 को गांव व डाकघर सुआ, ग्राम पंचायत सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत सुआ के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जगतम्बो देवी पुत्री स्व0 श्री आत्मा राम, गांव व डाकघर सुआ, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की जन्म तिथि 12-12-1953 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-10-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार, ग्राम पंचायत सचिव सुआ को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 09-09-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 81/Misc. /NT / 2025

श्री तीर्थ राम पुत्र श्री रखा राम, गांव त्योंड़ा, डाकघर बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री तीर्थ राम पुत्र श्री रखा राम, गांव त्योंड़ा, डाकघर बसन्तपुर, उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके भाई श्री किशोरी लाल की मृत्यु दिनांक 20-03-2023 को गांव त्योंड़ा, पंचायत बसंतपुर में हुई थी। जिसे वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बसंतपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका, जिसे वह ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 26-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत बसन्तपुर के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ठाकुरद्वारा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.)

In the matter of :

Anjana Devi w/o Sh. Shishu Pal, r/o Village Khanewali, P.O. Devnagar, Tehsil Rampur Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh. . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

PROCLAMATION REGARDING CORRECTION OF NAME

Whereas, the above named applicant has submitted an application for the correction of her name from "ANJU DEVI W/O SHISHU PAL" to "ANJANA DEVI W/O SHISHU PAL" in the records of the Aadhar Card and all other relevant documents associated with the applicant.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of her name as "ANJANA DEVI W/O SHISHU PAL" in place of "ANJU DEVI W/O SHISHU PAL", they should appear before the undersigned on or before 14-10-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 15th day of September, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
(HARSH AMRENDER SINGH, HAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Assistant Collector 1st Grade, Shimla Rural,
District Shimla (H. P.)**

Case No. : 127/2025

Date of Institution : 12-12-2022

Date of decision : 25-11-2025

Smt. Satya Devi w/o Late Sh. Khem Chand, Balwant Singh son & Nisha Damyant, Soma daughters of Late Sh. Khem Chand, r/o Village Fareet, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhambi, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

1. Smt. Santi d/o Indru, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 2. Durga d/o Abhiya, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 3. Smt. Kamla d/o Abhiya, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 4. Smt. Indu d/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 5. Smt. Bindu d/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 6. Smt. Manju d/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 7. Smt. Ranju d/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 8. Smt. Lata d/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 9. Smt. Ambika w/o Late Sh. Gulab Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 10. Sh. Rameshar Lal s/o Lachi Ram, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 11. Sh. Gopal s/o Jang Bahadur, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 12. Smt. Uma d/o Jang Bahadur, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 13. Smt. Anita d/o Jang Bahadur, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 14. Smt. Rita Devi d/o Jang Bahadur, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 15. Smt. Vrinda Devi d/o Jang Bahadur, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 16. Smt. Satya Devi w/o Jang Bahadur, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 17. Sh. Sunil s/o Ram Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 18. Sh. Devinder s/o Ram Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 19. Smt. Suman d/o Ram Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah,

Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 20. Kumari Monika d/o Ram Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 21. Kumari Rachana d/o Ram Singh through her LRs. (a) Simran d/o Rachana, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), (b) Harshita d/o Rachana, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), (c) Smt. Narayani d/o Rachana, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 22. Smt. Radha Devi w/o Ram Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 23. Sh. Lekh Raj s/o Gopi Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 24. Smt. Chandravati w/o Gopi Singh through her LRs. (a) Lekh Raj s/o Gopi Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 25. Sh. Bhim Singh s/o Bishan Singh through his LRs. (a) Narendra s/o Bhim Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), (b) Bharti d/o Bhim Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), (c) Kanta w/o Bhim Singh, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 26. Smt. Ganga d/o Bishan Singh through her LRs. (a) Madhu d/o Ganga, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), (b) Oshin d/o Mathu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), (c) Manu d/o Mathu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 27. Sh. Mahesh Kumar s/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 28. Ganesh Kumar s/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 29. Sh. Hari Singh s/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 30. Sh. Gopal Singh s/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 31. Sh. Krishan Kumar s/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 32. Smt. Susheela Singh d/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 33. Smt. Madhu d/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 34. Smt. Parwati Devi w/o Kidu, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 35. Sh. Baldev Singh s/o Situ, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 36. Sh. Dinesh Kumar s/o Situ, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 37. Sh. Ramesh Kumar s/o Situ, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 38. Smt. Lachhmi Devi w/o Situ, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 39. Sh. Keshav s/o Shonkia, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 40. Sh. Amrit Lal s/o Bihari Lal, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 41. Sh. Devi Dayal s/o Bihari Lal, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 42. Smt. Savitri d/o Moti Ram, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.), 43. Pujari Mandir Sh. Shiv Kumar, r/o Mouza Chalog, P.O. Shakrah, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.).

Publication Order

Whereas, an application has been received from Smt. Satya Devi w/o Late Sh. Khem Chand, Balwant Singh son & Nisha Damyanti, Soma daughters of Late Sh. Khem Chand, r/o Village Faret, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh, u/s 123 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for partition of land comprised Khata/Khatoni No. 17/38 to 44 Kita 15, area measuring 00-43-24 hectare situated at Mouza/ Mohal Chalog, Tehsil Shimla Rural, District Shimla (H.P.).

And Whereas, notice have already been issued to the respondents/ second parties mentioned in the application. But some of them could not be served personally due to various reasons such as death, address not found or being untraceable.

Now, therefore, through this publication all respondents/ second parties, their legal heirs, representatives or any other person having interest in the above mentioned property are hereby informed to appear before this court on the next date of hearing i.e. 25-11-2025 (DLSA building Top Floor, Court complex Chakkar) at 2.00 P.M. either personally or through authorized counsel and file their objections, if any to the said application.

In case of failure to appear on the said date the matter shall be decided *ex-parte* in accordance with law and they shall be bound by such order. The publication shall be deemed to be a valid service upon all the respondents/second parties concerned.

Issued under my hand and seal this day of 10th October, 2025.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector 1st Grade,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : / 2025

Smt. Tenzin Yangdon d/o Shri Kalsang Dorjee, r/o H.No. 81, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(ए) दुरुस्ती नाम।

प्रार्थिया Smt. Tenzin Yangdon d/o Shri Kalsang Dorjee, r/o H.No. 81, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-6959, दिनांक 30-08-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 20-11-1980 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Smt. Tenzin Yangdon d/o Shri Kalsang Dorjee & Tsetan Palkey, r/o H.No. 81, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्रीमती गुरमीत कौर पुत्री श्री मनसा राम, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती गुरमीत कौर पुत्री श्री मनसा राम, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2023-5147, दिनांक 22-07-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 07-07-1964 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अमरकोट के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती गुरमीत कौर पुत्री श्री मनसा राम, निवासी अमरकोट, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

Smt. Tenzin Mingley d/o Shri Tashi Samdup, r/o H.No. 141, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(ए) दुरुस्ती नाम।

प्रार्थिया Smt. Tenzin Mingley d/o Shri Tashi Samdup, r/o H.No. 141, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-7758, दिनांक 19-09-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-06-1983 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Smt. Tenzin Mingley d/o Shri Tashi Samdup and Smt. Chodon, r/o H.No. 141, Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : /2025

श्रीमती आशा रानी पुत्री श्री तिरथ नाथ, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(ए) दुरुस्ती नाम।

प्रार्थिया श्रीमती आशा रानी पुत्री श्री तिरथ नाथ, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-8046, दिनांक 23-09-2025 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 15-02-1971 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती आशा रानी पुत्री

श्री तिरथ नाथ, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री प्रित्तम सिंह पुत्र श्री तोता राम, निवासी गांव जैतग, डा0 जमटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री प्रित्तम सिंह पुत्र श्री तोता राम, निवासी गांव जैतग, डा0 जमटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-6531, दिनांक 21-08-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत नावणी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कौलावाला भूड, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, विद्यालय त्यागपत्र अपने कार्यालय से प्राप्त प्रमाण-पत्र आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसका जन्म तिथि 03-03-1965 को हुआ है उसका जन्म गांव जैतग, तहसील नाहन में हुआ है जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत नावणी में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री प्रित्तम सिंह पुत्र श्री तोता राम की जन्म तिथि 03-03-1965 ग्राम पंचायत नावणी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 24-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती उमा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव काटल, डा0 जमटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती उमा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव काटल, डा0 जमटा एवं ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-3144, दिनांक 11-07-2024 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत नावणी, नकल परिवार रजिस्टर, रिपोर्ट ग्राम पंचायत जमटा आदि कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1975 है उसका जन्म घर पर ही हुआ है जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश अपनी ग्राम पंचायत नावणी में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नावणी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती उमा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह की जन्म तिथि 01-07-1975 ग्राम पंचायत नावणी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 24-09-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

श्री सबील अहमद पुत्र ताज हुसैन, निवासी खारा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(ए) दुरुस्ती नाम।

प्रार्थी श्री सबील अहमद पुत्र ताज हुसैन, निवासी खारा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2025-6537, दिनांक 21-08-2025 द्वारा अनुलग्नक

क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 04-04-1968 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत जामनीवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री सबील अहमद पुत्र ताज हुसैन, निवासी खारा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 20-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री राम सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी गांव रखनी, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री राम सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, निवासी गांव रखनी, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-6540, दिनांक 21-08-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बनकलां, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु एवं सी0एम0ओ0, जिला सिरमौर (हि0प्र0), नकल परिवार रजिस्टर, विद्यालय त्याग पत्र एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05-06-1965 है उसका जन्म घर पर ही हुआ है जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बनकलां में दर्ज न करवा सके हैं। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 03-11-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री राम सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह की जन्म तिथि 05-06-1965 ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 03-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Satpal s/o Rattan Chand, r/o Village Jajwar, P.O. Lower Ghallour, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that in matriculation certificate of my son his name is wrongly entered as Kartik instead of Kartik Dhiman. Concerned note it.

SATPAL
*s/o Rattan Chand,
r/o Village Jajwar, P.O. Lower Ghallour,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Komal Singh aged 49 years s/o Sh. Uttam Ram, r/o Village Lower Hawaii, P.O. Shiah, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.) do hereby solemnly declare that I have changed my name from Kamal Chand to Komal Singh. Henceforth, I shall be known as Komal Singh for all purposes. Concerned may note.

KOMAL SINGH
*s/o Sh. Uttam Ram,
r/o Village Lower Hawaii,
P.O. Shiah, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Shalinder Singh s/o Sh. Harbans Singh, Village Ambwala Singpura, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) declare that in 10th Class Exam. Certificate of my son Harsirjan Singh issued by CBSE, name of his mother is inadvertently recorded as Bhupinder Kaur instead of her correct name Bhupender Kaur. Please note.

SHALINDER SINGH
*s/o Sh. Harbans Singh,
r/o Village Ambwala Singpura,
Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Nirmala Kumari w/o Sh. Todar Mal, Village Dolra, P.O. Baryara, Tehsil Kotli, Village & Muhal Sadoh, District Mandi (H.P.), Pin-175052 declare that I want to change my name from Neela Devi to Nirmala Kumari in my Aadhar No. 7312 5703 4067. All concerned please note.

NIRMALA KUMARI
*w/o Sh. Todar Mal,
r/o Village Dolra, P.O. Baryara,
Tehsil Kotli, Village & Muhal Sadoh, District Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumar s/o Jeet Singh, r/o Village Meramasit, P.O. Meramasit, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that in my minor daughter's Aadhar No. 5978 2649 2538 her name is wrongly recorded as Aengal whereas her correct name is Angel.

PRAVEEN KUMAR
*s/o Jeet Singh,
r/o Village Meramasit, P.O. Meramasit,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Ajay Kumar Sharma s/o Ram Saroop, r/o Village & P.O. Booni, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) declare to correct my son's name in Aadhar Card as Rishabh Sharma instead of Rishav Sharma. All concerned note.

AJAY KUMAR SHARMA
*s/o Ram Saroop,
r/o Village & P.O. Booni,
Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.).*